प्रतिलिपि आदेश दिनांक 19–2–16 पारित द्वारा सदस्य राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण कमांक निगरानी 4081–दो/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–5–15 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, टीकमगढ़ प्रकरण कमांक 09/अपील/11–12.

———

भजनलाल तनय गज्जू कुशवाहा
निवासी ओरछा तहसील ओरछा
जिला टीकमगढ़ ——— आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार, ओरछा
2– राजस्व निरीक्षक, ओरछा
3– पटवारी हल्का ओरछा तहसील ओरछा,
जिला टीकमगढ़ म0प्र0 ——— अनावेदकगण

———

XXXIX(a)BR(H)-11 -2-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक– निग0 4081–दो/15 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-2-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 09/अपील/ 11–12 में पारित आदेश दिनांक 30–5–15 के विरूद्ध पेश की गई है । 2/ आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा प्रकरण का एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में तहसीलदार, ओरछा ने आदेश दिनांक 31–3–11 द्वारा आवेदक को ग्राम ओरछा स्थित भूमि सर्वे नंबर 299/3 रकबा 10.992 के अंश भाग रकबा 2.000 हैक्टर पर अतिक्रामक मानकर बेदखली के आदेश दिए गए हैं तथा साथ ही 5000/– रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया गया है । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 20–10–11 को अपील प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अवधि बाह्य मानकर निरस्त किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए इस प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत प्रतीत नहीं होते हैं । जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है उन्होंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को अवधि बाह्य मानकर निरस्त किया गया है । अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह कहा गया है कि आवेदन पत्र में वर्णित तथ्य समाधानप्रद नहीं हैं क्योंकि आवेदक अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में उपस्थित रहा है । उनका उक्त निष्कर्ष अभिलेख पर आधारित नहीं है क्योंकि तहसील न्यायालय की	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आदेश पत्रिका दिनांक 14-3-11 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार ने उक्त दिनांक को प्रकरण में तर्क सुनकर प्रकरण आदेशार्थ नियत किया है किंतु आदेश पारित किये जाने की कोई तिथि आवेदक को नहीं दी है । ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में जो दिनांक जानकारी का दिया गया है, उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को अवधि बाह्य मानकर निरस्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । न्यायदृष्टांत 2010 आर0एन0 157 में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि परिसीमा अधिनियम, 1963 - धारा 5 - बिना सूचना दिए आदेश पारित जानकारी दिनांक से बिना समय के लोप के अपील प्रस्तुत की गई विलंब क्षमा किया जाना चाहिए । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 2007 (1) एमपीडब्लूएन 43 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि परिसीमा अधिनियम, 1963 - धारा 5 - पुनरीक्षण फाइल में विलंब की माफी के लिए आवेदन - मामला गुणागुण पर विनिश्चय करके सारभूत न्याय करना चाहिए - परिसीमा के नियमों से पक्षकारों के अधिकार नष्ट नहीं होने देना चाहिए । प्रकरण के तथ्यों एवं उपरोक्त न्यादृष्टांतों के प्रकाश में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है । 3/ जहां तक तहसीलदार के आदेश का प्रश्न है आवेदक की ओर से उसे वर्ष 1974 में प्रदत्त पट्टे की सत्यापित प्रति एवं अन्य राजस्व अभिलेखों खसरा आदि की जो प्रमाणित प्रतियां आदि पेश की गई हैं उनसे यह स्पष्ट है कि आवेदक को ग्राम ओरछा स्थित भूमि सर्वे नंबर 299/2 (नया नंबर 299/3) रकबा 2.023 का पट्टा दिनांक 15-4-74 को मंजूर किया गया है । इस न्यायालय के समक्ष आवेदक	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक- निग0 4081-दो/15 जिला - टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	द्वारा वर्ष 1973-74 की दायरा पंजी की प्रमाणित प्रति पेश की गई जिसमें कमांक 86 पर आवेदक के पक्ष में दिनांक 15-4-74 को दिए गए पट्टे से संबंधित विवरण दर्ज है । इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा खसरा पांचसाला वर्ष 1974-75 लगायत 1977-78 की प्रमाणित प्रति भी पेश की गई है जिसमें वर्ष 1975-76 में संशोधित प्रविष्टि में आवेदक का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है । इसके बाद के वर्षो में 1989-90 तक आवेदक का नाम परिवर्तन के ब्यौरे के कॉलम में अंकित है और उसके बाद के वर्षो में 2008 तक आवेदक का नाम प्रश्नाधीन भूमि 2.000 हैक्टर पर बेजा कब्जाधारी के रूप में अंकित है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्ष 1974 से प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक निरंतर काबिज होकर खेती कर रहा है । आवेदक का नाम वर्ष 1974 में दिए गए पट्टे के आधार पर राजस्व अभिलेखों में 1975-76 के बाद भूमिस्वामी के रूप में अंकित क्यों नहीं किया गया इसका कोई उल्लेख खसरों में नहीं है । आवेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में राजस्व अधिकारियों की त्रुटि के कारण अंकित नहीं किया गया तो उसके लिए आवेदक को दंडित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । तहसीलदार द्वारा उक्त तथ्यों को पूर्णतया अनदेखा किया गया है । तहसीलद्वारा इस तथ्य को भी अनदेखा किया गया है कि आवेदक द्वारा वर्ष 1974 में प्रश्नाधीन भूमि पट्टे पर प्राप्त करने के उपरांत अकृषि योग्य भूमि को श्रम व धन व्यय कर कृषि योग्य बनाया गया है तब उसे भूमि से बेदखल करना न्यायोचित नहीं है । आवेदक अधिवक्ता के इस तर्क में भी बल है कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि पर वर्ष 1974 जब से	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उसे भूमि का पट्टा दिया गया है तब से निरंतर काबिज चला आ रहा है ऐसी स्थिति में उसे म0प्र0 दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984 के तहत भी प्रश्नाधीन भूमि पर व्यवस्थापन की पात्रता आ जाती है । अतः तहसीलदार द्वारा आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि का अतिक्रामक मानकर आदेश पारित करना न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है और इस कारण तहसीलदार का आदेश भी स्थिर नहीं रखा जा सकता । दर्शित परिस्थिति में प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर आवेदक का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया जाना उचित होगा । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 09/अपील/11-12 में पारित आदेश दिनांक 30-5-15 एवं तहसीलदार, ओरछा द्वारा प्रकरण क्रमांक 40/अ-68/09-10 में पारित आदेश दिनांक 31-3-11 विधिसम्मत न होने से निरस्त किये जाते हैं एवं तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि ग्राम ओरछा स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नंबर 299/3 रकबा 10.992 के अंश भाग रकबा 2.023 हैक्टर पर आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित किया जाये और तद्नुसार राजस्व अभिलेख संशोधित किए जायें । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	